भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3279

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

कर्नाटक में सीएसआर पहलों के माध्यम से सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संगठन

3279. श्री बसवराज बोम्मईः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान हावेरी जिले सहित कर्नाटक में ऐसे संगठनों द्वारा स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने कर्नाटक में संगठनों द्वारा कार्यान्वित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है अथवा उनके प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;
(घ) क्या सरकार ने सीएसआर निधियों के उपयोग में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) विधिक ढांचे के अंतर्गत 'संगठन' के रूप में शब्द का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2018-19 से 2022-23 तक कर्नाटक राज्य में सीएसआर के तहत कंपनियों की संख्या और उनके द्वारा खर्च की गई राशि का विवरण अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

(ख): सीएसआर विधिक ढांचे के अंतर्गत सीएसआर निधियों की मंजूरी और आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, कर्नाटक में पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2018-19 से 2022-23 के लिए जिलावार सीएसआर व्यय अनुलग्नक- II के रूप में संलग्न है। हावेरी जिले पर किए गए सीएसआर व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक -II में शामिल है।

जारी.....2/-

(ग) से (ङ): कम्पनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कम्पनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन करना अपेक्षित है और कम्पनी के बोर्ड को स्वयं को इस बात से सन्तुष्ट करना होता है कि इस प्रकार संवितरित निधियों का उपयोग इसके द्वारा अनुमोदित तरीके से और इसी प्रयोजन के लिए किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी अथवा वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करेगा। सीएसआर समिति, सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और बोर्ड को सिफारिश करेगी, जिसमें निधियों के उपयोग के तौर-तरीके, परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र और कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन, यदि कोई हो, का विवरण शामिल है। सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव आकलन आदि का विवरण कंपनियों द्वारा 'सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट' में सूचित किया जाना अपेक्षित है, जिसमें सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना शामिल है जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियां, जिनकी अपनी वेबसाइट हैं, को अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण करना अपेक्षित है। सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है और सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसमें लेखापरीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण देना अपेक्षित है। इस प्रकार, मौजूदा कानूनी प्रावधानों जैसे अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के खातों की सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रावधान आदि के साथ, कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र प्रदान करता है।

****

अनुलग्नक - I

दिनांक 16.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3279 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

कर्नाटक राज्य में वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक कंपनियों की संख्या और उनके द्वारा सीएसआर पर खर्च की गई राशि					
वित्तीय वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कंपनियों की संख्या	1968	1988	1911	1800	2156
खर्च की गई राशि, करोड़ रु. में	1257.69	1448.16	1277.81	1839.73	1985.23

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट प्रकोष्ठ)

*****

अनुलग्नक- II

दिनांक 16.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3279 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक कर्नाटक में जिलेवार सीएसआर व्यय

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.सं.	जिला	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23
1.	बागलकोट	0.28	2.92	0.64	5.64	4.50
2.	बल्लारी	8.21	13.59	14.87	28.79	189.49
3.	बेलगावी	2.30	8.72	8.09	16.47	18.61
4.	बेंगलुरु ग्रामीण	17.59	17.15	20.05	120.57	161.08
5.	बेंगलुरु शहरी	11.60	30.46	77.41	1074.13	7.37
6.	बीदर	0.05	0.32	0.69	2.26	6.56
7.	चामराजनगर	-	0.76	2.61	4.14	8.46
8.	चिक्काबल्लापुर	1.37	3.89	12.24	1.70	0.21
9.	चिक्कमगलुरु	0.64	3.04	1.76	7.66	9.90
10.	चित्रदुर्ग	17.50	3.90	10.24	11.39	5.30
11.	दक्षिण कन्नड़	51.76	82.53	44.67	33.41	39.04
12.	दावणगेरे	0.09	1.66	1.46	3.68	4.34
13.	धारवाड़	4.79	26.19	27.03	41.46	19.92
14.	गडग	0.40	0.79	2.19	1.48	4.51
15.	हसन	0.21	1.24	1.47	4.92	2.12
16.	हावेरी	0.60	1.34	0.91	8.60	11.22
17.	कलबुर्गी	0.41	0.12	2.25	18.91	14.14
18.	कोडागु	2.78	2.10	3.75	20.62	8.58
19.	कोलार	9.86	17.54	11.35	14.14	24.50
20.	कोप्पल	1.29	0.47	2.01	4.32	4.67
21.	मांड्या	0.25	0.48	2.22	6.64	6.17
22.	मैसूर	7.33	27.18	20.51	50.41	49.03
23.	रायचूर	4.99	4.51	4.51	18.04	9.86
24.	रामनगर	15.23	20.55	33.90	4.05	0.14
25.	शिवमोग्गा	4.03	7.27	8.45	6.81	4.57
26.	तुमकुरु	4.39	8.76	3.96	14.56	18.00
27.	उडुपी	10.50	17.59	4.60	20.10	23.39
28.	उत्तर कन्नड़	9.62	4.84	5.07	11.46	11.02
29.	विजयनगर	-	0.50	-	0.00	1.30
30.	विजयपुरा	0.00	0.20	1.26	1.12	5.03
31.	यादगीर	0.03	1.58	0.97	2.83	-
32.	पैन इंडिया*	-	-	-	0.01	-
33.	एनईसी/उल्लिखित नहीं*	1069.57	1135.95	946.65	279.41	1312.18
कुल		**1257.69**	**1448.16**	**1277.81**	**1839.73**	**1985.23**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो जिलों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक जिलों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****